न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 37/2020

अपीलान्ट बनाम रेस्पोडेन्ट

गुलाराम पुत्र गणेशराम जाति जाट
निवासी हनुमानसागर (खटोडा) तहसील खींवसर।

नायब तहसीलदार खींवसर तहसील खींवसर।

उपस्थिति :–

1. श्री भगवान सिंह राठौड अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:29.01.2021

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 25/2020 सरकार बनाम गुलाराम में निर्णय दिनांक 20.07.2020 के तहत मौजा हनुमानसागर के खसरा नं. 264 गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.08.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 02.09.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नायब तहसीलदार खीवसर के प्रकरण सं. 25/2020 सरकार बनाम गुलाराम की फोटोप्रति, अखबार की कटिंग की फोटोप्रति तथा नजरी नक्शा की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व व मौके की स्थिति के विपरीत पारित, राजनैतिक दबाव व प्रभाव मे आकर, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना पूर्ण सुनवाई किये, बिना वास्तविक जांच व नाप चोप किये, बिना अतिक्रमी साबित हुए ही पारित किया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–अपीलांट ने कथित नोटिस की पालना मे उपस्थित होकर प्राथमिक आपति जवाब पेश कर निवेदन किया कि उसका रास्ता की भूमि पर कोई कब्जा नही है। उसका कब्जा पीढियो से उसके खातेदारी के खेत पर ही रहता चला आया है। कथित बाड व तारबंदी पीढियो पुरानी है। इस रास्ता पर दीगर गंवरी, फरसाराम ग्राम रोजगार सहायक वगैरा का नाजायज अतिक्रमण किया होने से उनके विरूद्व अपीलांट व दीगर लोगो ने प्रशासन को शिकायत की थी। जिससे नाराज होकर उन्होने पटवारी से मिलीभगत कर राजनेतिक रसूखात का इस्तेमाल कर अपीलांट की आवाज दबाने व उस पर दबाव बनाने के लिये अपीलांट के विरूद्व ही मिथ्या रिपोर्ट पटवारी से करवायी है। पटवारी उक्त ग्राम रोजगार सहायक फरसाराम वगैरा के अनुचित दबाव व प्रभाव मे आकर उनके अतिक्रमण को बचाये रखने के लिये अपीलांट के विरूद्व गलत रिपोर्ट बिना सही नाप चोप किये पेश की है। अपीलांट को पूर्ण जवाब व साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही आनन फानन मे बिना किसी अर्जेन्सी के दूसरी पेशी पर ही पटवारी से जिरह आदि का अवसर दिये बिना ही कथित पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट व उसके समर्थन मे पटवारी के बयान लेकर केवल पटवारी की रिपोर्ट व बयानो का हवाला देकर निर्णय जैर अपील पारित किया है।

{2}(III)–गंवरी पत्नी सोनाराम व फरसाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी हनुमानसागर (ग्राम रोजगार सहायक) द्वारा मौजा हनुमानसागर के हस्तगत खसरा नं. 264 किस्म गै.मु. रास्ता रकबा 8 बिस्वा पर तीन बार अतिक्रमण करने पर उनके विरूद्व शिकायते करने पर अतिक्रमण की रिपोर्ट होकर मु.नं. 294/17 दर्ज होकर अतिक्रमी मानकर निर्णय दिनांक 29.11.17 को किया, फिर भी इन लोगो ने अतिक्रमण यथावत रखा जिस पर पुनः मु.नं. 39/18 दर्ज होकर निर्णय दिनांक 24.9.18 को अतिक्रमण हटाने का पारित किया,

अपर कलक्टर, नागौर

फिर भी उक्त गवरी व फरसाराम ग्राम रोजगार सहायक ने अपने अतिक्रमण नही हटने दिया व अपने राजनेतिक रसूखात का इस्तेमाल कर पटवारी व स्थानीय प्रशासन से कोई कार्यवाही नही होने दी। जिस पर पुनः शिकायत होने पर पुनः मु.नं. 2/18 दर्ज होकर निर्णय दिनांक 30.1.18 को होकर बेदखली के आदेश हुए थे। इस प्रकार उक्त रास्ता की भूमि पर उक्त गंवरी देवी व फरसाराम ग्राम रोजगार सहायक बार बार अतिक्रमण करने के आदी है रास्ते पर अतिक्रमण के संबंध मे बार बार इनके विरूद्व शिकायते होकर मुकदमे दर्ज होकर बेदखली के आदेश होने के बावजूद तहसीलदार खीवसर द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर कारावास से दण्डित नही करने के कारण इनके होसले बुलन्द होते गये व अतिक्रमण को पुख्ता करने के लिये रास्ते पर पक्का झुपडा व टाप बना दिये है। इनके अतिक्रमण के संबंध मे समाचार पत्र मे भी खबर प्रकाशित हुई थी। लेकिन इनके विरूद्व उपरोक्त मुकदमो की कार्यवाहिया मात्र कागजो मे की गयी। मौके पर ऐसी कोई कार्यवाही कब्जा हटाने की भौतिक रूप से नही की गयी व आम जनता इनके विरूद्व शिकायत करती रही। ठीक इसी तरह नेनाराम पुत्र किरताराम जाति जाट निवासी हनुमानसागर ने खसरा नं. 264 गै. मु. रास्ता रकबा 5 बिस्वा पर अतिक्रमण करने का मुकदमा नं. 6/18 निर्णय दिनांक 30.1.18 तथा मु.नं. 43/18 निर्णय दिनांक 24.9.18 मे मात्र जुर्माना करके छोड दिया। मौके से भौतिक बेदखल नही किया। इनके पश्चातवर्ती अतिक्रमण है। लेकिन उक्त अतिक्रमी फरसाराम पुत्र सोनाराम जाट निवासी हनुमानसागर ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत खटोडा मे कार्यरत होने से सरकारी कर्मचारी होने से पटवारी वगैरा इसके दबाव व प्रभाव मे आकर इनको बचा रहे है व इनके पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के बावजूद दण्डित नही किया गया, इस बाबत जिला प्रशासन द्वारा भी तहसील प्रशासन से इस बाबत कोई स्पष्टीकरण नही लिया कि इनके विरूद्व बार बार मुकदमे होने व अतिक्रमण साबित होने के बावजूद पश्चातवर्ती अतिक्रमियो को सजा से दण्डित क्यो नही किया जा रहा है और तरह की शिथिलता के चलते उक्त फरसाराम ग्राम रोजगार सहायक वगैरा जो कि प्रभावशाली व्यक्ति होने से अपना पक्का निर्माण जो गै.मु. रास्ता पर किया हुआ है। उसे मौके पर से नही हटा कर मात्र कागजी कार्यवाही ही होने दे रहे है और इनके विरूद्व और शिकायत गांव वाले व अपीलांट वगैरा नही करे। इसी के चलते पटवारी से अपीलांट के विरूद्व सरासर झूठी रिपोर्ट करवा कर उक्त निर्णय करवा कर आनन फानन मे अपीलांट के कब्जासुद खातेदारी के खेत मे घुसकर उक्त फरसाराम ग्राम सहायक रोजगार व सरपंच, पटवारी वगैरा खडे रहकर आपस मे मिलीभगती करके कानून को हाथ मे लेकर मौके पर पूरी तरह से तानाशाही करते हुए मशीने वगैरा लाकर अपीलांट की खातेदारी की भूमि मे खडी फसल, तारबंदी, बाडे, सीवे तोड कर भारी नुकसान पहुचाया है व एक गरीब किसान के साथ वर्तमान वैश्विक महामारी के इस दौर मे गोर अन्याय करके लाखो रू. का नुकसान पहुचाया है। ऐसी दशा मे उक्त निर्णय जैर अपील को निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल करवायी जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

{2}(IV)–अपीलांट के कब्जासुद खातेदारी का खेत खसरा नं. 430 वाके मौजा हनुमानसागर मे स्थित है। जिसके उतर मे कटाणी रास्ता चलता है। जो खटोडा से साठिका डामर सडक से आगे पोटलियो की ढाणी जाने वाला रास्ता है। जिसके खसरा नं. 264 है व अपीलांट के खेत के उतर मे स्थित कथित खसरा नं. 264 कटाणी रास्ता पर अपीलांट का एक इंच भू भाग पर भी कभी किसी भी रूप मे कोई कब्जा / अतिक्रमण नही था न है न होगा। अपीलांट का अपनी खातेदारी की भूमि पर ही कब्जा है। रास्ते की तरफ पीढियो से धोरा पाली, बाड, तारबंदी की हुई रहती चली आयी थी, हर वर्ष की भांति अपनी खातेदारी की भूमि मे ही अपीलांट फसल की बुवाई कर अवैरता रहा है व परिवार की जीविकोपार्जन करता रहा है। मगर अपीलांट सहित ग्रामवासियो ने अन्य अतिक्रमियो के विरूद्व शिकायत करने मात्र से रंजिशवश अपीलांट के विरूद्व कार्यवाही करवा कर उसकी खातेदारी की भूमि मे खडी फसल को नष्ट किया गया है व इसी दुराशय से व दबाव बनाने के लिये आनन फानन मे जल्दबाजी मे बिना किसी अर्जेन्सी के, बिना विधिवत सुनवाई किये उक्त निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। जो एक भारतीय नागरिक व किसान के साथ स्थानीय प्रशासन को भंयकर अत्याचार है तथा जब उक्त फरसाराम ग्राम रोजगार सहायक, सरपंच, पटवारी वगैरा धमकिया देते है कि पुनः एक ओर झूठी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करवा कर अपीलांट के विरूद्व एक और पश्चातवर्ती अतिक्रमण का मुकदमा करवा कर जेल मे डलवा कर रहेगे। ऐसी स्थिति मे अपीलांट के विधिक व संवैधानिक अधिकारो पर सरकारी नुमाइन्दो द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(V)–अपीलांट का कथित खसरा नं. 264 गै.मु. रास्ता के किसी भी भू भाग पर न तो पूर्व मे कभी कब्ज़ा/अतिक्रमण रहा है न आज दिन है। अपीलांट से नाराजगी रखने वाले लोगो ने पटवारी को अनुचित दबाव व प्रभाव मे लेकर अपीलांट के विरूद्व अतिक्रमण की मिथ्या रिपोर्ट पेश करवायी है। जबकि कथित खसरा नं. 264 के चिपता ही अपीलांट की खातेदारी का खेत स्थित है और वास्तविक नाप चोप करवाने पर सारी स्थिति स्पष्ट हो सकती थी व हो सकती है और उस नाप चोप व सीमाज्ञान मे यदि एक इंच भी खातेदारी से अधिक अपीलांट का कब्जा पाया जाता है तो अपीलांट ऐसा कब्जा छोडने को सदेव तैयार था, है व रहेगा, जब इस तरह का नम्रतापूर्वक निवेदन अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष करने के बावजूद उसकी सुनवाई नही की। जबकि इन परिस्थितियो मे अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व बनता है कि किसी काश्तकार के ऐसे निवेदन पर नाप चोप व सीमाज्ञान संबंधी कार्यवाही निष्पक्ष टीम से करके विवाद का निस्तारण किया जावे। मगर प्रकरण हाजा मे ऐसा नही करके बिना किसी आधार के, बिना विधिक सुनवाई के, बिना पत्रावली का अवलोकन किये व बिना आवश्यकता के ही ऐसा निर्णय जैर अपील पारित कर आनन फानन मे उसकी पालना मे फसल को क्षति पहुचायी है व अब नया रास्ता कायम करना चाहते है। जबकि वास्तविक अतिक्रमियो के विरूद्व तीन तीन बार निर्णय होने के बावजूद मौके पर से उनको भौतिक रूप से बेदखल नही करना स्पष्ट रूप से आपस मे मिलीभगती व दुर्भावना को प्रकट करता है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण मे बिना किसी प्रकार की जांच किये व नायब तहसीलदार ने स्वयं के स्तर पर मौका निरीक्षण किये बिना, अपीलांट को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा मौके पर गै.मु. रास्ता का नाप चोप टीम से करवाये बिना ही सरसरी तौर पर जल्दबाजी मे निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो विधि गैर कानूनी निर्णय है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–वकील अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि खसरा नं. 264 मे स्थित अतिक्रमण था। जिसे हटा लिया गया है तथा पटवारी ने अपने बयान मे भी इसकी पुष्टि की है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा हनुमानसागर में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। आराजी भूमि गै.मु. रास्ता राजकीय भूमि है। जो सार्वजनिक भूमि है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके हनुमानसागर के खसरा नंबर 264 गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलेक्टर, नागौर
नागौर